न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस
राजस्व अपील :: 28 / 2025
जीसीएमएस नम्बर :: 2025 / 113

अपीलाण्ट :–
श्रीमती शान्ता बाई पत्नी पूनमचन्द जाति सैन निवासी हिंगोला कलां तहसील मारवाड़ जंक्शन के कायम मुकाम :–

1. नन्दलाल पुत्र पूनमचन्द
2. मोतीलाल पुत्र पूनमचन्द
   जाति सैन निवासी हिंगोला कलां, तहसील मारवाड़ जंक्शन हाल निवासी पूनम हिघत्स म.ई.ड.क. रोड़ नन्द प्रोविसिऑन स्टोर मोरवाड़ी पिंपरी पुणे (महाराष्ट्र)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

1. मोहनलाल पुत्र शिवलाल जाति माली निवासी खैरवा, तहसील पाली जिला पाली (राज.)
2. प्रवीण कुमार पुत्र भंवरलाल जाति श्रीमाली ब्राह्मण निवासी खैरवा तहसील पाली जिला पाली (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली जिला पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री पीताराम परिहार
रेस्पो. संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **27.10.2025**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 365 दिनांक 30.08.2024 को निरस्त कराने बाबत् पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री पीताराम परिहार व रेस्पो. संख्या 01 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव उपस्थित हुए। रेस्पो. संख्या 02 को जारी सम्मन बाद तामील न्यायालय समय में बार–बार आवाजे लगाये जाने पर वक्त बहस अनुपस्थित। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम खैरवा चक संख्या 02 खाता संख्या 87 खसरा संख्या 1026 रकबा 09 बीघा किस्म बारानी अव्वल का तत्कालीन खातेदार रेस्पो. संख्या 02 ने जरिये बेचान पंजीयन दिनांक 19.02.2018 को अपीलाण्ट की माता बेचान व कब्जा सुपुर्द किया। अपीलाण्ट का कारोबार पूना में होने की वजह से उक्त पंजीयन दस्तावेज का नामान्तरकरण नहीं भरवा सके। इसी दौरान रेस्पो. संख्या 02 ने जैर विवादित आराजी का पुनः रजिस्टर्ड बेचान रेस्पो. संख्या 01 को कर दिया व उक्त पश्चातवर्ती रजिस्टर्ड बेचान के विरूद्ध जैर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जो कि विधि विरूद्ध व शून्य होने से काबिले खारिज है। अतः जैर अपील स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर नामान्तरकरण हस्ब पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर विधिनुसार ही स्वीकृत किया गया है। अतः अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज फरमावे।

सर्वप्रथम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

उभयपक्ष की श्रवणशुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन करने पर प्रकट आया कि हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता अपीलाण्ट का प्रमुख उज्र यह है कि विवादित आराजी का पूर्व में आराजी के तत्कालीन खातेदार रेस्पो. संख्या 02 द्वारा अपीलाण्ट की माता शान्ता बाई पत्नी पूनमचन्द को दिनांक 19.02.2018 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान कर दिया। तत्पश्चात रेस्पो. संख्या 02 ने पुनः उसी आराजी का रेस्पो. संख्या 01 के पक्ष में बेचान कर दिया एवं उसी पश्चातवर्ती रजिस्टर्ड पंजीकृत विलेख के आधार पर जैर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जो कि विधि विरूद्ध है।

हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध पंजीकृत विक्रय विलेख एवं जैर नामान्तरकरण का अवलोकन करने पर यह सुस्पष्ट है कि रेस्पो. संख्या 02 द्वारा दिनांक 19.02.2018 को अपीलाण्ट की माता को जैर आराजी का बेचान कर दिया एवं उसके पश्चात उक्त आराजी का स्वामित्व रेस्पो. संख्या 02 के पास शेष नहीं रहा। बावजूद इसके रेस्पो. संख्या 02 ने विवादिज आराजी का पुनः विक्रय रेस्पो. संख्या 01 के पक्ष में कर दिया गया एवं उसी विक्रय विलेख के आधार पर जैर नामान्तरकरण स्वीकृत गया, जो कि विधि विरूद्ध है, क्योंकि जब एक बार किसी सम्पत्ति का वैद्य विक्रय हो चुका हो तो विक्रेता के पास पुनः उसी सम्पत्ति को विक्रय करने का कोई वैद्यानिक अधिकार नहीं बचता। अतः रेस्पो. संख्या 02 द्वारा रेस्पो. संख्या 01 के पक्ष में किया गया द्वितीय विक्रय विलेख के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 365 दिनांक 30.08.2024 निरस्त योग्य है।

लिहाजा हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए अपील–अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर ग्राम रामपुरा पटवार मण्डल खैरवा II के नामान्तरकरण संख्या 365 दिनांक 30.08.2024 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **27.10.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली